

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 15.4.2011

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री योगेश तिवारी वरिष्ठ लिपिक राजस्थान विधान सभा, जयपुर	4/बी/2 गॉधीनगर	3.4.2021	35/08
2.	श्री मामचंद शर्मा वरिष्ठ लिपिक चिकित्सा(ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/48 गॉधीनगर	31.1.2020	195/08
3.	श्री अनन्त कुमार शर्मा वरिष्ठ लिपिक कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	4/115 गॉधीनगर	30.9.2020	57/08
4.	श्री सरफराज अहमद खान वरिष्ठ लिपिक संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	4/66 गॉधीनगर	31.12.2025	160/08
5.	श्री भवानी सिंह शेखावत कनिष्ठ लिपिक राज0 मा0 विद्यालय, सुशीलपुरा, जयपुर	4/82 गॉधीनगर	28.2.2034	164/08
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह वरिष्ठ लिपिक चिकित्सा(ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/84 गॉधीनगर	31.8.2031	26/09
7.	श्री अनिल कुमार माथुर वरिष्ठ लिपिक सारता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर	4/97 गॉधीनगर	31.10.2025	176/08
8.	श्री शैलेश पारीक कनिष्ठ लिपिक ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/ 156 पुराना नं0 एफ-969 गॉधीनगर	31.8.2025	177/08
9.	श्री रामेश्वर लाल सिनवाल साक्षर परिचारक सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4/98 गॉधीनगर	31.12.2023	178/08
10.	श्री हरिशरण वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक(ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/177 पुराना नं. एफ-990 गॉधीनगर	30.6.2033	31/09
11.	श्री राम सिंह महावर कनिष्ठ अनुदेशक आर,आई केन्द्र बनीपार्क, जयपुर	4/108 गॉधीनगर	30.4.2.34	179/08
12.	श्रीमती पुष्पा माखीजा कनिष्ठ लिपिक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गॉधीनगर, जयपुर	4/112 गॉधीनगर	28.2.2036	182/08
13.	श्री हरिकिशन शर्मा कनिष्ठ लिपिक राजकीय अधिवक्ता कार्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	4/127 गॉधीनगर	31.3.2018	184/08
14.	श्री प्रेमचंद तारावत वरिष्ठ लिपिक गृह (ग्रुप-12) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	4/128 गॉधीनगर	31.1.2021	38/09
15.	श्री रामकरण, वरिष्ठ लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	4/139 गॉधीनगर	30.6.2027	192/08

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

